

## अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /19 दिनांक : 19 :सितम्बर -2019

### --: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1629/19 दिनांक 16.09.19 द्वारा दिनांक 21.10.19 से 26.10.19 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-अलीगढ़ व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय लखनऊ को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ द्वारा पत्रांक-339/19 दिनांक 17.09.19 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि उनके पिता जी का देहान्त दिनांक 15.07.19 को हुआ था। उसके बाद दीपावली के प्रथम त्यौहार पर धार्मिक अनुष्ठान एवं अन्य सामाजिक क्रियाओं हेतु दिनांक 26.10.19 से उन्हें अपने गृह, बरूआ सागर, जिला, झाँसी में रहना अनिवार्य है। उक्त आधार पर दिनांक 25.10.19 एवं 26.10.19 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने तथा युगल पीठ की कार्यावधि दिनांक 21.10.19 से 24.10.19 तक सीमित करने अथवा किसी अन्य विभागीय सदस्य को नामित किये जाने का निवेदन किया गया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ द्वारा किये गये निवेदन पर सम्यक विचारोपसन्त उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए " सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ " के स्थान पर " सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ को बरेली में उक्त अवधि की गठित खंडपीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

२०/११/१९

( प्रेम कला सिंह )

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन/1640/2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1--सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ।
- 2--सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ।
- 3--सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
- 4--कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5--मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 6--सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।